चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 22.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 22.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 22.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया । बाद परेड महोदय द्वारा शास्त्रों को खोलवाया गया तथा पुलिस लाइन का भ्रमण कर मैस, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन, आरओआईपी डायल 112, रेडियो कन्ट्रोल रूम,क्वार्टर गार्ड,स्टोर रूम का निरीक्षण

कर प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती आस्था पाण्डेय पत्नी अनुज कुमार पाण्डेय निवासी मानिकपुर सुभाष नगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति अनुज कुमार पाण्डेय निवासी सुभाषनगर मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा किया जाता है। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी मंजूलता पाल

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र स्व0 माताबदल निवासी अरक्षा बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा

2.आरक्षी नरेंद्र कुमार

3.आरक्षी शक्ति सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त महेश निषाद पुत्र रामखेलावन निवासी कोल्हूआ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज

2.आरक्षी सोनपाल

3.आरक्षी बृजेंद्र राय

(7). आज दिनांक 22.10.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी एन, जिलाधिकारी सतना मध्य प्रदेश श्री अनुराग वर्मा तथा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, द्वारा पुलिस अधीक्षक सतना मध्य प्रदेश श्री आशुतोष गुप्ता की उपस्थिति में दीपावली मेला को सकुशल संपन्न कराने को लेकर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक खोया पाया केंद्र रामघाट के सभागार में संपन्न हुई।

बैठक में चित्रकूट उत्तर प्रदेश तथा सतना मध्य प्रदेश के जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों ने यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था,पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, अतिक्रमण, प्रकाश व्यवस्था, डायवर्जन मार्ग आदि विभिन्न बिंदुओं की जानकारी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के संबंधित अधिकारियों से की।

जिलाधिकारी चित्रकूट ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी को निर्देश दिए कि रामघाट तथा पूरे परिक्रमा मार्ग सहित संपूर्ण मेला क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था अच्छी तरह से कराई जाए उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि निर्मोही अखाड़ा के पास जो पुलिया का निर्माण हो रहा है उसको तत्काल कराया जाए तथा चितरा गोकुलपुर के पास जो अंतर राज्यीय गेट का निर्माण हो रहा है उस गेट का कार्य भी दीपावली मेला के पहले पूर्ण कराया जाए ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार की समस्या न हो।

जिलाधिकारी सतना मध्य प्रदेश ने दोनों जिलों के अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए दीपावली मेला को संपन्न कराए उत्तर प्रदेश की तरफ से जो चितरा गोकुलपुर वाला रोड है उस तरफ कोई भी वाहन न आने पाए उन्होंने कहा कि दोनों जिलों के मेला कंट्रोल रूम स्थापित कराया जाए जिनकी कनेक्टिविटी एक दूसरे से कराई जाए और वहां पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाए ताकि दोनों तरफ की सूचनाओं एवं भीड़भाड़ को देखते हुए आदान-प्रदान होता रहे।

तत्पश्चात जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों ने मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जिसमें उन्होंने चितरा गोकुलपुर बॉर्डर, पीली कोठी तिराहा, प्रमुख द्वार कामतानाथ जी में व्यवस्थाओं को देखा तथा भगवान कामतानाथ जी के दर्शन एवं पूजा अर्चन भी किया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने पीली कोठी तिराहा का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस सड़क पर मध्य प्रदेश की तरफ से कोई भी वाहन न आने दिया जाए ताकि यह रोड जाम ना हो जिलाधिकारी सतना ने सीएमओ नयागांव को निर्देश दिए की साफ सफाई अच्छी ढंग से कराया जाए मेला से पहले पीली कोठी वाली रोड में मोरंम मिट्टी से दोनों तरफ सड़क की भराई भी कराई जाए ताकि आने वाले तीर्थयार्थियों को कोई असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक सतना ने कहा कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के परिक्रमा क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए जो तीर्थयात्री नारियल तोड़ते हैं व अगरबत्ती जलाते हैं उनके लिए जगह भी चिन्हित की जाए तथा दोनों तरफ के अधिकारी आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए शासन के निर्देशों के अनुसार दीपावली मेला को सकुशल संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चित्रकूट श्री उमेश चंद्र निगम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी कर्वी सुश्री पूजा साहू, उप जिलाधिकारी मझगवां सतना मध्य प्रदेश श्री जेके वर्मा, एसडीओपी मध्य प्रदेश श्री रोहित राठौर, सीएमओ नयागांव श्री विशाल सिंह,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लाल जी यादव,अधिशासी अभियंता विद्युत श्री दीपक सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी श्री अनुपम श्रीवास्तव,अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री संतोष कुमार सहित संबंधित अधिकारी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मौजूद रहे।

(8). अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में डॉ0 संतोष कुमार (ACMO)/ नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

आज दिनांक 22.10.2024 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 भूपेंद्र द्विवेदी के निर्देशन पर ओरियंटेशन ऑफ इनफोर्समेण्ट पर्सोनल्स एवं तंबाकू मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान एवं शपथ अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर की शुरुआत की गयी।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत कर बताया कि तंबाकू हमारे जीवन में हमारे शरीर के समस्त अंगों पर दुष्प्रभाव छोड़ती है जिससे हमारा आने वाला युवा तमाम तरह की बीमारियों से शिकंजे में फसता चला जा रहा है उन्होंने बताया कि तम्बाकू हमारे शरीर में किस तरह अपनी जगह बनाती है और कैंसर जैसी बीमारी को मुफ्त में दे जाती है जिसका असर कई पीढियां तक रहता है अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्यशाला में प्रतिभाग किए थाना पुलिस इंचार्ज को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित करें व समस्त शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में दुकानों से तंम्बाकू और तंम्बाकू से बने उत्पादों को हटाना सुनिश्चित करें जिससे तंबाकू अभियान पूर्णतः सार्थक हो सके इसी बीच यूपीवीएचए रीजनल कोऑर्डिनेटर लखनऊ श्री पुनीत श्रीवास्तव ने प्रोजेक्टर के माध्यम से कोटपा 2003 की समस्त धाराओं को पीपीटी के माध्यम से बताया कि सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश द्वार पर धारा 4 का का साइनेज लगा होना आवश्यक है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान/तंम्बाकू निषेध लिखा होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति इसका प्रयोग करता पाया जाता है तो उसे ₹200 तक का जुर्माना या जा सकता है इसी प्रकार धारा 6अ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को तम्बाकू बेचना हो या बिकवाना कानून दंडनीय अपराध है इसी प्रकार धारा 6 बी के अंतर्गत किसी भी शैक्षिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू और तम्बाकू से बने उत्पादों का बेचना दंडनीय अपराध है व उल्लंघन करने पर जुर्माना हो सकता है धारा 5 के अनुसार तम्बाकू के उत्पादों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर 60* 45 सेंटीमीटर को बोर्ड प्रदर्शित करने चाहिए जिसमें तम्बाकू के कारण कैंसर होता है उल्लंघन करने पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना या 5 से 10 साल तक की कैद हो सकती है धारा 7 की सापेक्ष सभी तम्बाकू उत्पादों की पैकिंग पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।

इस कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक जनसूचना सेल श्री जयप्रकाश उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक सोशल मीडिया सेल श्री निशीकांत राय,प्रभारी निरीक्षक डीसीआरबी श्री वीर प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री शिवप्रकाश यादव,प्रभारी निरीक्षक मॉनिटिरंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ला व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री यामीन अहमद के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशीकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये माह अगस्त में कुल 13 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 09 लाख 42 हजार 158 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध मे पीडित 13 व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के नाम पर 09 लाख 42 हजार 158 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री निशीकान्त राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 13 पीडितों के 9 लाख 42 हजार 158 रुपये बरामद कराया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आम जनमानस द्वारा बैंक आने जानें व बैंकिग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिये व भारत सरकार के डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में आम जनमानस भी जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल उपलब्ध है ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है । अतः ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे व्यक्तियों को यह जानकारी जरुरी है कि कैसे-कैसे हम साइबर ठगी का शिकार हो सकते है और क्या सावधानी अपनायें की साइबर ठगी से बचा जा सके । जनपदीय साइबर सेल द्वारा लगातार लोगों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरुक किया जाता हैं एवं साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर अथक प्रयास करते हुये सम्बन्धित बैंकों से समन्वय स्थापित कर पीड़ितों की धनराशि वापस करायी जाती है ।

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।